

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :- 61 / 2019

गुल्मानाथ बनाम थाबुनाथ

क्र. आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तामील करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">36 उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	